

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.स. 07/Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-I/2025-26

दिनांक: 17.07.2025

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान विभाग (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकर्मीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (सर्वी एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के नियमानुसार 10 वर्षों के कुल 6500 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) नियमानुसार है—

क्र.सं.	विषय	गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद	कुल पद
01	हिन्दी	1005	47	1052
02	अंग्रेजी	1150	155	1305
03	संस्कृत	842	98	940
04	गणित	1184	201	1385
05	विज्ञान	1180	195	1365
06	सामाजिक विज्ञान	401	0	401
07	उर्दू	48	0	48
08	पंजाबी	11	0	11
09	सिंधी	02	0	02
10	गुजराती	01	0	01
	योग	5804	698	6500

नोट :-

अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृष्ठक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

विशेष नोट :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के अध्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों को विस्तृत भी आवेदन कर सकते हैं। हासिल अनुसूचित क्षेत्र के नियमित अन्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राधिमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरे। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विस्तृत क्षेत्र राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में नियमित होने का प्रमाण पत्र यथासम्भव आयोग लाभांश द्वारा भाग जान पर प्रस्तुत करना होगा अपात्र होगा। **टिप्पणी:-** यदि अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राधिमिकता देवें।
2. यदि अन्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृष्ठक—पृष्ठक ऑनलाइन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और वर्धास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपर्युक्त अन्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्कृती तीन भर्ती वर्गों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्गों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ग में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ग को इस उपनियम के प्रयोगन के लिए समर्पित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद अधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रमाणित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्कृती वर्गों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपर्युक्त अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विद्या या विच्छिन्न विद्याह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपर्युक्त अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्दर-परिचर्तन द्वारा, अर्थात् विद्यायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विद्याह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विद्या और विच्छिन्न विद्याह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियों उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपर्युक्त महिला अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पूर्ण अन्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तिया आरक्षित है। महिला अन्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों पश्चात्कृती वर्ग के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विद्यायों और विच्छिन्न विद्याह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रज्ञ आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में व्यवनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटि के विस्तृत समायोजित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यजन/नियाक्तजन के लिए दर्शाएं गए पदों का आरक्षण शीर्षित (Horizontal) है अर्थात् अन्यर्थी जिस वर्ग का होगा उस उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सीनिकों का आमेलम) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सीनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार शीर्षित (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपर्युक्त भूतपूर्व सीनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान राज्य के अनुपलब्धता की जायेगी तथा उपर्युक्त भूतपूर्व सीनिकों व्यपत्ति हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ग में कोई रिक्ति उपर्युक्त दैचमार्क नियाक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्तियों नहीं में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ग में भी उपर्युक्त दैचमार्क नियाक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः नियाक्तता की नियाक्तिरित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर्परिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई नियाक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्तियों को नियाक्तजन के अलावा अन्य व्यक्तियों से भरा जायेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आरक्षिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सीनिकों को हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल नियासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की नहिला जो विवाहोपहारना राजस्थान राज्य की मूल नियासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओवीसी/एमवीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट विलाही की पात्रता रखने वाले अन्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। **टिप्पणी:-** “विन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रायोग्यन संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।”

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएः :

- (1) (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(विज्ञान विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects :- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects:- History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

- (2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अन्यर्थी को विभिन्न शैक्षणिक अईटा (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आग्रह इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथा यह ऐसे अन्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के अधार पर आवेदन करना तथा अहंता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता 2023 (B.N.S) की घास 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अन्यर्थी को क

वेतन का नियम पे-ट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीकाकाल में नियत नियमित वेतन (Fix Pay) देय होगा।		
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :- पद क्रम संख्या 1 से 8 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विभागित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2025 रखा गया था। अतः उक्त पद क्रमों हेतु जो अन्धर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्षानानुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी। पद क्रम संख्या 09 के पद वर्ष 2018 में एवं पद क्रम संख्या 10 के पद वर्ष 2013 में आयोग द्वारा विभागित किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विभाग जारी नहीं किया गया। अतः जो अन्धर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्षानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।	
विभागित पदों के अनुकूल दर्शाये गये आवधित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अन्धर्थीयों का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आधिक रूप से कन्याओर वर्ग के पुरुष	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आधिक रूप से कन्याओर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विवाह एवं विधिन विवाह (परिवर्यक्ता) महिला Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सत्कार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो आपनी दोषसिद्धि के पूर्व आधिकायु नहीं था और नियमों वो अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भूक्त कारबास की कालाघटि के बराबर की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	कैडेट इन्ट्रूमेंट्स के मामले में उनमें ही काल की छूट होगी जिनमी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बहारे परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें नियुक्ति आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	राज्य, पंचायत तत्त्वियों तथा जिला परिषदों के कारबाहर में Substantive रूप से जारीरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें नियुक्ति आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति वो समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग में समाझ आवधिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उम्रकी प्रारम्भिक नियुक्ति के राज्य इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावें। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment;	
11.	राजस्थान सिद्धिल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमंत्रन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों का अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी बरन्तु इन नियमों के अधीन शिपिलीकरण के पश्चात यदि अनुडोष आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुमत अभिकर्ते हैं वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण – कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिद्धिल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमंत्रन) नियम, 1988 यथासंभित प्राक्षानी के होते हुए वो किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों ने आयु संबंधी जो शिपिलता अन्य लोक सेवकों/अन्धर्थीयों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिपिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्राक्षान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को निलेगा।	
12.	राजस्थान दिव्याग्नजन आवेकार नियम, 2018 के अनुसार निश्चवातजन व्यक्तियों के लिए उपर उल्लंघित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रदर्शनों जिनमें सामान्य स्थिरता में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्फूर्त ही निष्पादी माने जावेंगे।		
नोट –		
1. उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट के दिनु संख्या 01 से 11 तक के प्राप्तवान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अन्धर्थीयों को उपरोक्त वर्गित किसी भी एक प्राक्षान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राक्षानों वो जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। 2. उपर्युक्त दिनु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, दिनु संख्या 12 में उल्लंघित प्राक्षान के अनुसार विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी। 3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लैटिज (Horizontal) आक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आवधित पदों हेतु यदि किसी अन्धर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (पीसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रियायतों के प्रति विशिष्ट नहीं किया जायेगा। 4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानियुक्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्धर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्षान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विशेष वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी प्राक्षान ही मान्य होगी।		
अन्य विवरण		
चयन प्रक्रिया	अन्धर्थीयों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवधकता प्रहने पर आयोग द्वारा उत्तरापत्रक/उत्तरारप्सिटिका के मूल्यांकन ने तकलिग/मोडरेशन/नीर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपर्युक्त पद्धते अन्धर्थीयों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राप्तिकारी को अनुशासित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा ने प्राप्तानों की मेरिट (Merit) के त्रैमाण व्यावरिष्ट होंगे।	
परीक्षा का स्थान एवं तारीख	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में व्यापक रूप से सुचित किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लंघित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की ऐवसाईट पर पृष्ठक से जारी किया जाएगा।	

आवेदन अधिकारी	दिनांक 19.04.2025 से दिनांक 17.09.2025 तक 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संशोधन में दिये गये दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। सदृप्रसन्न ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थी के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रक्रमान ही सामूहिक होंगे।</p> <p>2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्ड्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।</p> <p>3. जिन अभ्यर्थीयों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अकित प्रविष्ट का ऐकांकिक वस्तावेजों ने अकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p>Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जीव/परख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।</p> <p>5. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बौद्धि सूचा की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अनिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृष्ठक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।</p> <p>7. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अधिकारी के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा कक्ष में उपस्थिति पत्रक पर चला जाने हेतु साथ लेकर आयें।</p> <p>8. अभ्यर्थीयों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देव नहीं होगी।</p> <p>9. अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अंजित की जा चुकी सभी ऐकांकिक योग्यता/अनुमत का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अकित करें।</p> <p>10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं जाना जायेगा।</p> <p>11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर समर्पक करें।</p> <p>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। मलत सूचना देने/तथा छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर डिबार लाहित निमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।</p> <p>13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की ओरीग्नीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामन्य वर्ग के अनुर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p>14. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की डार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>15. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अपलोड करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>16. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-	ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निमानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अकित तिथि/अवधि तक ऐकांकिक योग्यता अंजित करना आवश्यक है:-
1.	यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिनों के नीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाइन मुगातान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशननुसार) कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2.	आयोग द्वारा प्रधम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिनों पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी की फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
	Note: विद्युत विवाह/तात्त्वक सूचा/परिवर्तन महिला ऑनलाइन आवेदन की दिनांक तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विद्युत विवाह (DV) किसी जारी होने वीरियति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकती है।
3.	One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
4.	किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से ही जायेगी।
5.	सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।
6.	आयोग द्वारा अभ्यर्थी आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
7.	आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी जोकलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
एकांकिक पंजीयन शुल्क – कार्यालय (का-2) कियाग के परिषिक्त दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समता भर्ती परीक्षाओं में एकांकिक पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-	
1.	सामान्य (अनारकिता)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी - रूपये 600/-
2.	आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नीन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नीन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सहरिया आदिन जाति) के अभ्यर्थी - रूपये 400/-
3.	दिव्यांगजनन – रूपये 400/-
नोट :-	<p>1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थीयों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी भाग जाना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।</p> <p>2. जिन अभ्यर्थीयों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसवी जाइकी द्वारा लैग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के आधार पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकांकिक पंजीयन शुल्क जाना करवाए।</p> <p>जुनूनीय पंजीयन शुल्क जाना करने के पश्चात परीक्षाओं में उपरिक्त अभ्यर्थीयों के लिए कार्यालय (का-2) कियाग द्वारा परिषिक्त दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है-</p> <p>(i) कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 नावं) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपरिक्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थ</p>

टिप्पणी—यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर इस परीक्षा में ओटीआर प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि यह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है जबकि अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाइटिंग चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि कन्दाधीक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधीक के श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाइटिंग चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी का वचन—पत्र केन्द्राधीक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिकोणीय (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता—Both Arms) एवं सरेबल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उस श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मानसे में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीकार से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मानसे में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीकार से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समर्त पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण—पत्रों का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अनुरूप अध्यायों करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का नाम/हिस्सा माना जायेगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

The Examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and Paper-II shall be of 300 marks.

PAPER - I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - (ii) Current Affairs of Rajasthan
 - (iii) General knowledge of world and India
 - (iv) Educational Psychology.
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

6. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (मूलपूर्व सैनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विभिन्न प्राक्षणानुसार मूलपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

PAPER - II

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes.
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- राजस्थान सिविल सेवा (मूलपूर्व सैनिक का आगेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विभिन्न प्राक्षणानुसार मूलपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

6. Paper shall include following subjects:-
 - (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.
 - (ii) knowledge of graduation standard about relevant subject matter.
 - (iii) Teaching methods of relevant subject.

उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अंति महत्वपूर्ण दिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही नम्बर द्वारा आइडी अंकित करें जिस पर उह परीक्षा/साकातकार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम नम्बर द्वारा आइडी बदलने/बदल होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. अभ्यर्थी यथासन्नद्ध नम्बर एवं पत्र व्यवहार के प्रते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र व्याप्तिवाक्य करें। अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ते कि सभी प्रविष्टियां लही—सही भी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही लही मानकर आयोग द्वारा आगे भी लाईवाही की जायेगी।
4. अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अनियम दिनांक का इन्तजार किये जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करे अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदक द्वारा स्वयं इं-मिन्ट/अन्य किसी स्ट्रोत से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते/नव्यात तथा किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलपत्र त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक संरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जांच आवश्यक रूप से करने के पश्चात त्रुटि होने पर उन्हें सूचारने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेंकर उसकी जांच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की जिम्मेदारी नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर इं-मिन्ट अथवा अन्य स्ट्रोत से आवेदन करता है, तो आवेदक स्वयं इं-मिन्ट अथवा अन्य स्ट्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। इं-मिन्ट अथवा अन्य स्ट्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना नहीं जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से जिस क्षेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिचय मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित आवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी ने आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विविहन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/सञ्चय कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/नंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यथा Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अनिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की आवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यथियों को जो कि अपने सावधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग/जाति/मता है, उसी क्षेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा/आवेदक द्वारा जिस क्षेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरा है तब संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाइन आवेदन की अतिम लिंग से पूर्ण का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अन्यथा की पात्रता को अनारक्षित/मूल वर्ग की रिक्ति के द्विदृष्टिवालि किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की होगी।
7. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित नती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जीवंत अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से बयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन—पत्र ऑनलाइन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति नी अपलोड करनी होगी।
- आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जीवंत मूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियों से करते समय यदि अन्यथा की आयु शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/सञ्चय कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/नंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लिखित अन्य जरूरी के परिणामस्थलय अन्यथा की अपात्रता इत्तम होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की होगी।
8. किसी भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्यथा को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंग खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंग स्वयं ही निर्धारित हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अन्यथा की अन्यथिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अन्यथा की होगी।
9. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम विर्यंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विविहन विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विविहन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
10. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने/ब्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात कोई अन्यथा आकर्षित रूप से विध्वान घोषित हो जाता/जाती है तो उसे विधवा/विविहन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने/ब्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात कोई अन्यथा आकर्षित रूप से विध्वान घोषित हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/सैरीका परीक्षा/साक्षात्कार के अतिम परिणाम से पूर्ण वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होता है तथा उसके लिए आधार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र, लिंग दस्तावेज (यथा – विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, भत्ताकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवर्तन के नाम से मूल नियाम प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा विध्वान हेतु नियामकता प्रमाण—पत्र मध्य 500/- रुपये का ऑनलाइन शुल्क मुगलान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरान्त अन्यथा विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्ण के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
11. विविहन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अन्यथा को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विविहन विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विविहन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
12. विविहन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की नहिला को ऑनलाइन आवेदन की अतिम दिनांक तक विधवा के उपरान्त आयोग द्वारा पारित न्यायालय की डिक्टी (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के नियामनुसार) प्रस्तुत करने पर ही आखण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विविहन विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्टी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विविहन विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
13. आवेदक उक्त पद हेतु उभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वाचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुमति संपर्क मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता है। विज्ञापन में दी गई वाचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुमति को अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुमति को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रैक्षणिक योग्यता एवं अनुमति प्रमाण—पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
14. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई नियमानुसार आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश—पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
16. परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओएमआर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अकिंत दिशा-निर्देशों को च्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर हर प्रश्न पत्र/ओएमआर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/ब्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. प्रश्न—पत्र में ब्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/ब्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विवरण विवेदन के लिए आवेदन करना होता है तथा उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
18. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्रीयका/अमिनागर/आयोग द्वारा नियुक्त ओयोलारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यता: पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षाकाल में किसी प्रकार की स्थिति के होने की स्थिति में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यवहार/हंगाम करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आकर्षक जो भी उचित तात्पर्य समर्पित कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध व्यवहार करने सहित राजस्थान लालजानिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की व्यवहार के अव्यूपय) डाइनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
19. यदि किसी अन्यथा/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एवं अधिकारीयों की किसी भी नर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अन्य व्यवहार के लिए भर्ती एवं अधिकारीयों की परीक्षा-निर्देशों की विवरित (Debut) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में लम्बित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
20. राज्य कर्मचारी को दैव लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्यथा ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण—पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विविहन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता /विकलांगता/सञ्चय कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/नंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तथा ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संगीका परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित ह

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु उपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाहित प्राप्ति में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना। आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

6. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (*Income & Assets Certificate*) अन्यर्थी एवं उसके पिता के नाम लो दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्राप्ति में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुमति आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी प्रक्रियापन में सुलिखित हो) अंजित होना आवश्यक है तथा ऐसे सभी प्रमाण पत्र जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सेकंडरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उच्चांश खिलाफी (आयोग की बैंडसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता* (सम्पूर्ण मारत वर्ग वे किसी भी राज्य के सक्षम विकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र लिस्ट में निश्चितता की श्रेणी का रूपांतरण हो), राज्य जन्मदारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी नियमित रूप से वाली वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा— विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विवाह श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/ विचित्रन विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास बाननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी दिक्षा (बाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) और नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विचित्रन विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

*नोट— नियमानुसार विशेष योग्यता के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्थावराम्भन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

8. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान – कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अंजित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/मरी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है एवं उसने सक्षम प्राधिकारी से नियक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदघोषण से पूर्व उसे सम्बुद्धि नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक नियक प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्त से पूर्व अव्यक्त हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदघोषण कालावधि को शिखिल कर सकेगा और उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की कालावधि के भीतर पद घोषण करने के लिए अनुमति किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि ली गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के उद्दीन किसी पद पर एक बार सेवा रहने कर ली है तो राजस्थान सरकार ने अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रारिष्ठति समाप्त हो जायेगी। सजरखान सरकार के अधीन नियोजन घोषण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी नामा जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद के अनुमति अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कालण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुमति उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के उद्दीन प्रारम्भिक पद घोषण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार व्याप्ति के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/घोषणादेता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के उद्दीन नियमितक/सविदा/अन्वयी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। 'कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021' के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।'

9. शासन के परिपत्र क्रमांक व.6(19)गृह-13 / 2006 दिनांक 22.05.2008 वे अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बांधनीय होगा।

10. ऐसा कोई भी उम्मीदी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे/सातान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये बात्र नहीं होगा, परन्तु वो से अधिक बच्चे/सन्तानों पाले किसी भी आवेदक के नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ावारी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्पत्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होती है, वही बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की मापना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की मापना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और नियुक्ति हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यथी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि वे विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के उद्दीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकत्र प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपर्युक्त किसी विवाह एवं विचित्रन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बांधनीय होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक बाहित शैक्षणिक योग्यता व अनुमति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विचित्रन विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को औनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अवधि विवाह के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अकेत होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को चयन उपरान्त आवश्यक सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के गिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने पर विवरण/बाद न्यायिक रूप से विवाहशास्त्र के लिए वर्ग/श्रेणी की नियुक्ति होना चाहिये।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकित्सा जीत सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णसाध से त्वर्त्त है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णत उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपकरणों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदी हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोजन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अम्माती की पात्रता के संबंध में साक्षात्तेज सेवा नियम के अनुसार आवेदक का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र मे गलत/उटीपूर्ण रूपना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध मे विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी औनिलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकाकारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित रूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वैबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का आवेदन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। गलत/ त्रुटिपूर्ण तृच्छना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी राम्रणी जिम्मेदारी रूपये आवेदक की होगी तथा गलत/ त्रुटिपूर्ण तृच्छना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिगत/ ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/ पत्र-व्यापहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूँकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की प्रक्रिया की जात्य सम्बन्धित मती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात अस्तर्वार्दि रूप से व्यवनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यक्ष विलूप्त आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये औनिलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई तृच्छन के आवाहन पर की जाती है, इसलिए औनिलाईन आवेदन पत्र में भरी गई तृच्छन को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा ने अस्तर्वार्दि प्रवेश दिया जायेगा। उग्र अभ्यर्थी द्वारा औनिलाईन आवेदन-पत्र में गलत/ त्रुटिपूर्ण तृच्छन व्यवहा अपूर्ण तृच्छन भरी है, तो अभ्यर्थी जब चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होनी जिसके ताम्चाय में अभ्यर्थी को काई कम्हनी अधिकार नहीं होगा।

पर्व चौथा

४ विन्द मंजुरी — प्राकृतीय प्राचीन जल्द आवेदन राखिए। यहां पर्याप्त हो जाएगा। इसके लिए अधिक जल्दी की जरूरत नहीं है।

जन्म दिन पर्वता — एकमात्र पर्यावरण सुरक्षा, जीवदल प्रशंसनी, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं पराक्रमा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आधारग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आदेशन व परीक्षा संबंधी मानवाच दिलो—निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। इसक अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समर्थ-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग लो वेबसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसक अदिवित जिसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/रेपब्लीकारन हेतु उपलब्धान लेक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में विद्युत उपकरण का वर व्यविधान लाप हो उपका दूरभाष स. - 0145-2835212 एवं 2835200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार संविध उपलब्धान लोक सेवा आयोग, अजमेर को संबोधित किया जाए।

१७(७)२५
(रामनिवास मेहता)
सचिव
दिनांक : 17.07.2025

લિંગ: F. 8-A(06)Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-I/2025-26/યુ

Digitized by srujanika@gmail.com

सूचना / 2025-41137-7889515 दिनांक 15.07.2025 के क्रम में सूचनाएँ प्रेषित हैं

१००

DSSSB , KVS, CTET, EMRS, NVS , BPSC , RPSC , UPTET , AEEES , AWES , CHANDIGRAH , ALL STATE TETs EXAM & Other Departments Related NTT PRT TGT & PGT सभी Teaching Jobs और Others Non-Teaching Govt. Jobs की Updates & FREE NOTES प्राप्त कर सकते हैं . Follow us on social media -


FOR ALL TEACHING EXAM UPDATES & PDF - <https://t.me/Teachingexam>

FOR KVS NVS EMRS UPDATE & FREE NOTES - <https://t.me/forKVSexam>

CTET & All STATE TET EXAM- <https://t.me/CTETEXAM2024PREPARATION>

JOIN WHATSAPP CHANNEL FOR EVERY UPDATE LINK -
<https://whatsapp.com/channel/0029Va8gvx7Fy72BDgJYIf1V>

CLICK HERE TO JOIN FOR FREE NOTES & PDF -



CTET

FOR - ALL TEACHING EXAM

CTET & STATE TETs



FOR - NVS

EMRS

KVS



DSSSB PREVIOUS YEAR PAPER - CLICK HERE

DSSSB , KVS, CTET, EMRS, NVS , BPSC , RPSC , UPTET , AEEES , AWES , CHANDIGRAH , ALL STATE TETs EXAM & Other Departments Related NTT PRT TGT & PGT सभी Teaching Jobs और Others Non-Teaching Govt. Jobs की Updates प्राप्त कर सकते हैं . JOIN for FREE NOTES & PDF.

JOIN WHATSAPP CHANNEL - CLICK HERE